

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 181/2022

1. दशरथ पुत्र रामकरण
2. भरत पुत्र रामकरण 17 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता किरण पत्नी रामकरण समस्त जाति बलाई निवासी कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर

-वादीगण -


बनाम

1. रामकरण पुत्र सुरजा जाति बलाई निवासी कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का बाजोर तहसील व जिला सीकर
3. उप पंजीयक सीकर
4. तहसीलदार, सीकर

- प्रतिवादीगण -

वाद बाबत उद्घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ.


वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 502 व 506 किता 2 कुल रकबा 1.8800 है० वाके ग्राम कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर में सुरजा (मृत) के हिस्से 281/2350 में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी, सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जों के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 31.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


 उपखण्ड अधिकारी सीकर
 उपखण्ड अधिकारी-सीकर